तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए

30/04/25

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से है :–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की

वाद में अप्रार्थी/वादी द्वारा रोही मौजा भावलदेसर के साबिका खसरा न0 184 की 23बीधा , खसरा न0 163 की 6 बीधा खसरा न0 163 की 8 बीधा कुल 37 बीधा भूमि लखूराम वल्द सदाराम की होना बताया है जबकि वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वाद हैतुक प्रकट नही होता है क्योकि जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2017 के खाता संख्या 17 में उक्त भूमि पोकरराम वल्द हरचन्द प्रार्थीगण संख्या 1 ,3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 ,5 के दादा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के प्रवर्तन के समय से लेकर आज तक वादी/अप्रर्थी का बतौर खातेदार काश्तकार कभी नही रहा है केवल एक खातेदार काश्तकार ही वाद ला सकता है अप्रार्थी/वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है उसे वाद लाने की अधिकारीता नही है वाद भमि मिन प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है अप्रार्थी वादी कभी भी किसी भी जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार दर्ज नही रहा है वादी /अप्रार्थी ने केवल तंग परेशान करने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थी /वादी ने अर्जीदावा की मद संख्या 4 में 19 बीधा भूमि का लेखूराम को खातेदार बताया है तथा मद संख्या 6 में 20.08 बीधा भूमि का खातेदार बताया गया है वादी के कथन स्वत ही विरोधाभाषी है वादी ने सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा इन्द्राज परिर्वतन का कथन किया गया है वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज ही नही तो इन्द्राज परिर्वतन का प्रश्न ही नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने लूखराम वल्द सदाराम के नाम भूमि दर्ज नही होना अंकित किया है मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात पेश किये है जिसे लूखराम वल्द सदाराम के नाम भूमि दर्ज है वाद भूमि पूर्व में लेखूराम व अब सदाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादग्रस्त भूमि लखुराम वल्द सदाराम की सम्वत 2012 में खातेदारी दर्ज थी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पोकरराम ने भूप्रबन्ध विभाग से अपने नाम दर्ज करवाई गई है जो गलत तौर से दर्ज करवाई गई है।

प्रतिवादीगण के [illegible] भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई है जो किसी प्रकार से [illegible] का खातेदार काश्तकार नही है केवल दावा में [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने भूप्रबन्ध विभाग से वादी के पूर्वजों की भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई है [illegible] संशोधन करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

कार्यवाही फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात मनन किया गया वादी ने वाद इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भावलेदसर के साबिका खसरा न0 184 की 23.00 बीधा, खसरा न0 163 की 6.00 बीधा, खसरा न0 163 की 8.00 बीधा कुल 37.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की लखुराम वल्द सदाराम के कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने भू0प्रबन्ध विभाग के कार्मिक से अपने नाम दर्ज करवाली जिसे अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है

वादी ने अपने वाद के सम्बध में केवल सम्बध 2010 से 2013 के मध्य की एक जमाबन्दी पेश की गई है जिसे लखुराम वल्द सदाराम का नाम तो दर्ज है किन्तु काश्त दर्ज नही है ना ही वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे भूमि काश्त होना साबित हो सकता हो

वादी का कथन है कि भू0प्रबन्ध विभाग ने नाम परिर्वतन किया गया है अर्थात भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व की जमाबन्दीयों / गिरदावरीयो में लखुराम पुत्र सदाराम का नाम अंकित होना चाहिये किन्तु वादी ने भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व की जमाबन्दीया ही प्रस्तुत नही की गई है मात्र एक जमान्दी पेश की गई है वह भी अपूर्ण जिसमें काश्त का विवरण दर्ज नही है

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में साबिका खसरा में उनके पिता के नाम भूमि बतौर खातेदार दर्ज है एवं गिरदावारीयों के अनुसार काश्त भी उसी खसरो की भूमि पर दर्ज है

वादी ने वाद भूप्रन्ध विभाग जो सम्वत 2029 से 2038 में आया था के द्वारा जमाबन्दी में किये गये परिर्वतन को संशोधन करने का वाद पेश करने का कोई कारण स्पष्ट नही किया गया है ना ही वाद के वाद करने का हेतुक प्रस्तुत नही किया गया है यदि भूप्रबन्ध विभाग के नाम उनके पूर्वजों का नाम परिर्वतन कर प्रतिवादीगण के पिता का नाम अंकित कर दिया था तो वह उसी समय नाम संशोधन करवाने का क्या पेश नही किया गया 50 वर्षो के बाद पेश करने का क्यो औचित्य है जो वादी के वाद पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी / प्रतिवादीगण के पूर्वज पोकरराम वल्द हरचन्द के नाम सम्बत 2010 से लेकर आज दिनांक तक वाद भूमि पूर्व में दर्ज थी पोकरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई जिसके द्वारा खाता विभाजन करवाने के उपरान्त वर्तमान में वाद भूमि भिन्न भिन्न खसरा में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है अर्थात प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि का पूर्व में प्रार्थी / प्रतिवादीगण का पिता पोकरराम खातेदार काश्तकार ... वर्तमान में प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

अप्रार्थी / वादी ... ऐसा ... पेश नही किया गया जिसके आधार पर भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व लगातार सम्वत 2012 से सम्वत 2029 तक भूमि कब्जा काश्त मे रही हो और भू0प्रबन्ध विभाग ने भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज की गई हो मात्र वादी / अप्रार्थी का कथन मात्र है तथा वादी / अप्रार्थी ने भू0प्रबन्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

विभाग की गलती को संशोधन करवाने के लिये 50 वर्षो के बाद वाद पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है तथा वादी ने वाद भूमि कब्जा काश्त में होने का भी कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया गया जबकि प्रतिवादी/प्रार्थी ने कब्जा काश्त के साक्ष्य पेश किये गये है।

घोषणात्मक वाद साक्ष्य/सबुतो के आधार पर ही प्रस्तुत किया जा सकता वादी ने 70 वर्ष पूर्व जमाबन्दी में दर्ज नाम के आधार पर वाद पेश कर किसी अन्य खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करवाने का अधिकारी नही है वादी ने घोषात्मक वाद एक जमाबन्दी में नाम अंकित के आधार पर वाद पेश किया है अपने वाद के समर्थन में भू0प्रबन्ध विभाग तक की लगातार जमाबन्दीया पेश करने में असमर्थ रहा है ना ही कब्जा काश्त का कोई साक्ष्य पेश किया गया है।

वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के अनुसार वाद पेश करने का हैतुक हासिल करने में असमर्थ रहा है वादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे वादी का वाद पेश करने का हैतुक हासिल होता हो मात्र कथनो के आधार पर वाद पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी ने भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन कर प्रतिवादीगण के पिता को उनके पिता के स्थान पर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया को संशोधन करवाने का पेश किया गया था वादी ने अपने वाद के समर्थन में भू0प्रबन्ध विभाग अर्थात सम्वत 2029 तक की जमाबन्दीयों में लखुराम का नाम अंकित रहा था साबित करने में असमर्थ रहा है ना ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही थी को साबित करने में असमर्थ है केवल कथनों के आधार पर वाद पेश किया गया है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादी को वाद पेश करने का हेतुक हासिल नही हो रहा है जबकि वादी भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वज पोकरराम व वर्तमान में प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है मात्र कथनों के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है ना ही वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे उनके हकों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी के हक समाप्त किये जाने आवश्यक है वादी ने भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटी को 50 वर्षो के बाद संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है वह भी वादी के वाद पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है वादी को वाद पेश करने का पूर्ण हैतुक हासिल नही होने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय वाद/प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर